

पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

“कार्यालय आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017, शासनादेश संख्या 198739/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 14 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या 229265/XXX(2)/2024/E-33080 दिनांक 31 जुलाई, 2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार विभागाध्यक्ष स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित मुख्य प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र बक्स, मुख्य प्रसार अधिकारी	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, चमोली	कार्यालय मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	अनुरोध के आधार पर

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिक को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा०नीरज सिंघल)  
निदेशक।

संख्या 2537/स्था०एक/वा०स्थाना०(प.चि.अ.)/2024-25

दिनांक 3 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. उपरोक्त कार्मिक को अनुपालनार्थ।
6. सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

(डा०नीरज सिंघल)  
निदेशक।